



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15102025-266921
CG-MH-E-15102025-266921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4517]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2025/आश्विन 21, 1947

No. 4517]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ASVINA 21, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4646(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए के उपखंड(I) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना सं. 450(अ) दिनांक 04/07/2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में नडियाद-पेटलाद आमान परिवर्तन परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार “संदेश” में दिनांक 12.07.2025, और “इंडियन एक्सप्रेस” में दिनांक 12.07.2025 को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेल अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जाएगी;

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यहां घोषणा करती है की आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार हस्तक हो जाएगी।

अनुसूची

विषय: गुजरात राज्य में नडियाद-पेटलाद आमान परिवर्तन परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये खेड़ा जिले में अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	अधिग्रहण भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक का नाम
गाँव: वसो			तालुका : वसो		
1	377	निजी	कृषि	0-00-02	चिरागभाई लालजीभाई रबारी और हरेशभाई जशाभाई आदि
2	207	निजी	कृषि	0-00-22	जिग्नेशभाई नटूभाई आदि
3	208/1	निजी	कृषि	0-06-57	कोकिलाबेन रमनभाई पटेल की विधवा आदि
4	208/3	निजी	कृषि	0-06-40	छोटाभाई बाबरभाई आदि.
5	212	निजी	कृषि	0-13-20	कोकिलाबेन रमनभाई पटेल की विधवा आदि
6	213	निजी	कृषि	0-13-60	आशाभाई नाथाभाई
7	253	निजी	कृषि	0-22-32	अरविंदभाई जवेरभाई बिन माटुरभाई
8	233	निजी	कृषि	0-09-36	हर्षकुमार मगनभाई आदि
9	214	निजी	कृषि	0-07-52	आशाभाई नाथाभाई
10	215	निजी	कृषि	0-07-26	घनश्यामभाई रणछोड़भाई आदि
11	216/1	निजी	कृषि	0-05-86	कोकिलाबेन रमनभाई पटेल की विधवा आदि
12	195/3	निजी	कृषि	0-02-90	हीराबेन अंबालाल भीखाभाई विधवा आदि
			कुल	0-95-23	
गाँव:टुंडेल			तालुका : नडियाद (ग्रामीण)		
1	21/2	निजी	कृषि	0-00-12	शांताबेन मंगलभाई आदि
2	20/1	निजी	कृषि	0-00-19	सोमाभाई मणिभाई गोहेल आदि
3	21/3	निजी	कृषि	0-00-63	राहुलकुमार नारनभाई वाघेला
4	21/4	निजी	कृषि	0-00-69	भीखाभाई गावाभाई तलपदा
5	21/5	निजी	कृषि	0-01-08	विष्णुभाई बुधाभाई गोहेल आदि
6	22	निजी	कृषि	0-02-40	मणिलाल मेलाभाई

7	16/2	निजी	कृषि	0-02-71	उदेसिंह मधुजी
8	16/3	निजी	कृषि	0-00-66	रमेशभाई बाबूभाई
			कुल	0-08-48	

[फा. सं. E. -346908-03]

राजेश श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th October, 2025

S.O. 4646(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No. 450(E) of dated 04.07.2025 Extra Ordinary Part II Section-3 Sub-section (ii) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Nadiad-Petlad Gauge Conversion Project in District Kheda in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper “Sandesh” dated 12th July, 2025 and “The Indian Express” dated 12th July, 2025 under Sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of Sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Nadiad - Petlad Gauge Conversion Project in the state of Gujarat.**

State : GUJARAT**District : Kheda**

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)	Name of Land Owner/Interested Person
Village: Vaso			Taluka : Vaso		
1	377	Private	Agriculture	0-00-02	Chiragbhai Laljibhai Rabari & Hareshbhai Jashabhai Etc.
2	207	Private	Agriculture	0-00-22	Jigneshbhai Natubhai etc.
3	208/1	Private	Agriculture	0-06-57	Kokilaben Ramanbhai Patel's Widow etc.
4	208/3	Private	Agriculture	0-06-40	Chhotabhai Babarbai etc.
5	212	Private	Agriculture	0-13-20	Kokilaben Ramanbhai Patel's Widow etc.
6	213	Private	Agriculture	0-13-60	Ashabhai Nathabhai
7	253	Private	Agriculture	0-22-32	Arvindbhai Javerbhai bin Maturbhai
8	233	Private	Agriculture	0-09-36	Harshkumar Maganbhai etc.
9	214	Private	Agriculture	0-07-52	Aashabhai Nathabhai

10	215	Private	Agriculture	0-07-26	Ghanshyamhai Ranchhodhai etc.
11	216/1	Private	Agriculture	0-05-86	Kokilaben Ramanbhai Patel's widow etc.
12	195/3	Private	Agriculture	0-02-90	Hiraben Ambalal Bhikhabhai widow etc.
			Total	0-95-23	
Village: Tundel			Taluka : Nadiad (Rural)		
1	21/2	Private	Agriculture	0-00-12	Shantaben Mangalbhai etc.
2	20/1	Private	Agriculture	0-00-19	Somabhai Manibhai Gohel etc.
3	21/3	Private	Agriculture	0-00-63	Rahulkumar Naranbhai Vaghela
4	21/4	Private	Agriculture	0-00-69	Bhikhabhai Gababhai Talpada
5	21/5	Private	Agriculture	0-01-08	Vishnubhai Budhabhai Gohel etc.
6	22	Private	Agriculture	0-02-40	Manilal Melabhai
7	16/2	Private	Agriculture	0-02-71	Udesinh Madhuji
8	16/3	Private	Agriculture	0-00-66	Rameshbhai babubhai
			Total	0-08-48	

[F. No. E.-346908-03]

RAJESH SRIVASTAVA, Chief Project Manager (Const.)